कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, कासगंज, वन प्रभाग, कासगंज

पत्रांक 336 /15-1 दिनांक , कासगंज, अगस्त 17 —— 2017

सेवा में,

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त,
अलीगढ़।

विषयः— एटा–कासगंज मार्ग एवं बरेली–मथुरा मार्ग का लो0नि0वि0 द्वारा चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु एटा मे किमी0 0 से 20 तक 22.80 हे0 संरक्षित वनभूमि एवं उस पर अवस्थित 2435 वृक्षों के पातन तथा कासगंज में एटा–कासगंज मार्ग पर किमी0 21 से 24.30 तक तथा बरेली–मथुरा मार्ग किमी0 145 से 161.50 तक 24.008 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं 3234 वृक्षों के पातन कुल 46.808 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व उस पर अवस्थित 5669 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भः— भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय लखनऊ का पत्रांक 8B/UP/06/32/2017 /FC/58 दि0 27.06.2017

महोदय,

उक्त विषयक प्रस्ताव में वन संरक्षक (के) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मत्रांलय का पत्रांक 8B/UP/06/32/2017 /FC/58 दि0 27.06.2017 द्वारा लगाई गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दु वार आख्या निम्नवत् है।

Sl. No		
1	Copy of document in support of the competence/authority of the person to make application on behalf of the user Agency uploaded with the proposal does not contain verified/attested signature of authorised signatory. [at A-3(xvii) Part 1]	अधीक्षण अभियन्ता (सक्षम अधिकारी) से हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र संलग्न है जिसमें प्रयोक्ता अभिकरण की ओर से प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रमाणित है।
2	(a) CD containing kml files for proposed forest land diversion and propsed compensatory afforestation has not been submitted with the proposal.	प्रभावित वन भूमि एवं प्रस्तावित क्षतिपूरक वनीकरण से सम्बन्धित वन भूमि के विवरण की सी0डी0 (सॉफ्ट कापी) संलग्न है।
	(b) The kml files uploaded with the part I for proposed forestland diversion are in poly line format which is incorrect format and renders Kml files not amenable to GIS DSS analysis.	पार्ट–। के साथ प्रस्तावित वन भूमि से सम्बन्धित अपलोड की गई KML फाइल पॉलीगन फार्मेट मे है।
3	Copy of cost benefit analysis uploaded at G(i) (a) in part I is not as per guidelines of MoEF&CC.	लागत–लाभ विश्लेषण निर्धारित प्रारूप में संलग्न है।
4	(a) The land schedule showing calculations for forest land (upload as additional document in part I) does not provied details of PF, Row etc on both side of the roads.	लेण्ड शिड्यूल की गणना मे RoW व PF अंकित कर दिया गया है।
	(b) The land schedule for kasganj Division is incorrect.	कासगंज प्रभाग का लैण्ड शिड्यूल ठीक कर दिया गया है।
	(c) Reasons for variable width requiment have not been provided with the land schedule.	कासगंज शहरी भाग में भूमि की उपलब्धता के अनुसार मात्र 20.00 मी0 चौड़ाई मे ही 04 लेनिंग का कार्य प्रस्तावित है जिसे लैण्ड शिड्यूल मे अंकित कर दिया गया है।
5	The land schedule upload in part II shows negative value of balance width available for plantation along road strip which is erroneous.	पार्ट–।। मे अपलोड किए गए लैण्ड शिड्यूल को ठीक कर दिया गया है।

6	(a) In the CA estimate for social forestry Division, Kashiram Nagar it is mentioned that additional 10 % of estimate will be charged from the user agency in future which is incorrect. The CA estimate should include all cost escalation estimated to be paid by user agency once.	क्षतिपूरक वनीकरण में 10 प्रतिशत मूल्य वृद्धि को मूल आगणन में ही सम्मिलित कर दिया गया है।
	(b) CA estimate for social forestry Division, Kasganj is without incorpating cost escalation due to inflation.	तदैव
7	Topo sheets attached showing CA location for social forestry Division Etah shows Six locations whereas five patches have been taken up for CA.	प्रस्ताव के साथ संलग्न टोपो शीट मे क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित 6 स्थलों मे से 5 स्थल एटा वन प्रभाग से सम्बन्धित है एवं 1 स्थल कासगंज वन प्रभाग से सम्बन्धित है। इस प्रकार कुल 6 स्थल टोपो शीट में अंकित किए गए है।
8	As per GIS DSS analysis of proposed CA patches only 64 he is appropriate for plantation whereas minimum 93.616 he of degraded forest land is required for compensatory afforestation. Additional CA patches with kml files, site suitability sertificate and site specific CA needs submission.	क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगनी अवनत 93.616 है0 वन भूमि से सम्बन्धित KML फाईल व भूमि उपयुक्तता प्रमाण पत्र संलग्न किया जा रहा है।
9	The proposal is with estimates for additional compensatory afforesfation on vacant land on both sides of the road without being specifically recommended by the competent authority of the state Government.	मार्ग के दोनो ओर चौड़ीकरण के उपरान्त अवशेष भूमि मे वृक्षारोपण हेतु राज्य सरकार की संस्तुति संलग्न है।
10	On many documents of the proposal name & date of the signing authority has not been mentioned and the same needs rectification.	प्रस्ताव पर दिनांकित हस्ताक्षर कर दिए गए है।
11	The proposal is without NPV calculation for proposed forest land falling under social forestry Division, Etah.	एटा वन प्रभाग की प्रस्तावित वन भूमि की NPV गणना संलग्न कर दी गयी है।

उक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर संशोधित प्रस्ताव 4–4 प्रतियों मे पुनः संलग्न कर उचित कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न – उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार शर्मा)
प्रभागीय वनाधिकारी
कासगंज वन प्रभाग
कासगंज